International Journal of Applied Research 2015; 1(2): 205-208

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(2): 205-208
www.allresearchjournal.com
Received: 27-11-2014
Accepted: 29-12-2014

गायत्री कुमारी
शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
गायत्री कुमारी
शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

विशिष्ट बालकः उनकी विशिष्ट समस्यायें और पुनर्वास कार्यक्रम

गायत्री कुमारी

सारांश
विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से शारीरिक और मानसिक क्षमता में अलग होते हैं । शारीरिक और मानसिक और सामाजिक दोषों से युक्त पाये जाते है। इन्हें विभिन्न प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर होते है । लेख में इनकी विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई है। विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इनकी विकलांगता के रोकथाम तथा पहचान हेतु आरंभिक कदम उठाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दिव्यांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास से संबंधित सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर भी बिन्दुबार चर्चा की गई है।

प्रस्तावना
विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं अर्थात उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता सामान्य बालक से अलग होती है। हमारे देश में भी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दोषों से युक्त ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं और समाज के प्रति अनुकूल बनने की सामर्थ्य नहीं रखते। चूँकि ये बालक अन्य औसत सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। अतरू ये बच्चे अपनी आयु तथा समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े होते हैं अथवा आगे होते हैं कि इन्हें जीवन में पग पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्या का समाधान करना पड़ता है। इन बालकों की अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आपकों समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा–दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें शिक्षित करने के लिए तथा उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं व तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है।

According to crow and crow: वह बालक, जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है।'
शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसारः– 'विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में बिल्कुल विशिष्ट एवं भिन्न होते है।'

विशिष्ट बालक का दर्जा निम्नांकित बालकों को दिया जा सकता हैः–
1. शारीरिक रूप से विकलांग और पिछड़े हुए बालक
2. मानसिक रूप से विकलांग और पिछड़े हुए बालक
3. प्रतिभावान व प्रतिभाशाली बालक
4. सृजनशील बालक
5. अपराधी या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक
6. समस्यात्मक या संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक
7. सीखने की दृष्टि से पिछड़े बालक
8. धीमी गति से सीखने वाले बच्चे ;सवू समंतदमतद्ध या पिछड़े बालक ;ठंबूंतक समंतदमतद्ध

यहाँ प्रस्तुत आलेख में हम विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह विचार करें कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन होते हैं ?
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे बालक जिनमें शरीर रचना और विकास की दृष्टि से न्यूनताएँ अर्थात कमियाँ पायी जाती है जिनके कारण उन्हें अपने काम–काज में, सामाजिक एवं सांवेगिक समायोजन

में तथा अपनी शिक्षा–दीक्षा और विकास कार्यों में परेशानी उठानी पड़ती है तथा माता–पिता, परिवार, समाज तथा विद्यालयों को उनके लालन–पालन व शिक्षा–दीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहलाते है। न्ण्ठींजज ने अपनी पुस्तक जैम चैलेपबंससल भ्ंदकपबंचचमक में स्पष्ट किया है कि– शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए विशेष शैक्षणिक पद्वति, विशेष–कक्षा, कक्षा विशेष विद्यालय तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है।

भारत में भारी संख्या में विकलांग व्यक्ति मौजूद हैं जो विभिन्न समस्याओं से जुझ रहे हैं। वर्तमान में विकलांग में 30ः विकलांग बच्चे है। आज सुचना क्रांति के विकास के कारण इन बालकों के विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा पद्वति का सहारा लिया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समस्यायेंः– विकलांग बालकों के लिए एक शोध बी.बी. मंडल ने किया जिसका शीर्षक था– ष्जैम चैलेपबंससल भ्ंदकपबंचचमक पद ठपींतष को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया कि विकलांग बालकों के साथ क्या–क्या समस्यायें है? इस संदर्भ में शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के साथ निम्नांकित समस्यायें हैं

1. ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विकलांग छात्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। विकलांग बालकों के साथ सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है।
2. बालकों के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित विशिष्ट शिक्षा की सुनियोजित व्यवस्था नहीं है।
3. विकलांग बालकों के लिए छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है। छात्रवृत्ति प्रदान करने की तकनीक इतनी जटिल हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश विकलांग बच्चे के लिए विशेष विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षण तकनीक का समुचित रूपों में उपयोग नहीं हो पाता है।
4. विकलांगों के लिए स्थापित विशिष्ट विद्यालयों में दक्ष प्राध्यापकों का भी आभाव है।
5. विकलांग बालकों के प्रति तथा कर्मचारियों का व्यवहार, उपेक्षापूर्ण होता है। साथ ह उनके माता–पिता भी भेदभावपूर्ण व्यवहार विकलांग बालकों के साथ करते हैं।
6. विकलांग बालक प्रशासनिक जटिलता तथा भेदभाव के कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाएँ का भी लाभ समुचित रूप से नहीं उठा पाते हैं।

इनके विकास के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये जाना आवश्यक है।

1. विकलांगता की रोकथाम :– विकलांगता को कई तरीकों से रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि रोकथाम के प्रयास काफी जागरूक होकर किया जाना चाहिए । ऐसे उपायों को बढ़ावा देना होगा जिससे विकलांगता उत्पन्न होती है। गर्भावस्था के दौरान और जन्म के समय कई सारी सावधानियाँ अपनाकर विकलांगता के कई प्रकारों को रोका जा सकता है।

विकलांगता की रोकथाम तथा आरंभिक पहचान हेतू कई कदम उठाये जा सकते हैं यथा –

1. माँ को गर्भावस्था में टीकाकरण तथा बच्चों को जन्म के पश्चात पूर्ण टीकाकरण करवाकर ।
2. सार्वजनिक स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रसार के लिये राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जागरूकता व निवारक कार्यक्रम चलाकर ।
3. विकलांग बालकों की जल्द पहचान की जा सके । इस उद्देश्य से मेडिकल और पारामेडिकल स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करके ।
4. प्रारंभिक बाल विकास से जुड़े डॉक्टर, नर्स, दाई, शिक्षक, माता–पिता, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सभी को प्रशिक्षित करके ऐसे बालकों की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है।
5. दिव्यांगों के परिवारजनों को विकलांगता से जुड़े विशेष पुस्तिका का निर्माण और निःशुल्क वितरण करके ।
6. अनुवांशिकता विज्ञान के अद्यतन शोध परिणामों का उपयोग कर जन्मजात विकलांगता को कम किया जा सकता है।
7. किशोरवय के बालक–बालिकाओं तथा माँओं को प्रजनन अवस्था में पोषण, पोषक तत्व की कमी से होने वाले विकलांगता तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान लाकर रोकथाम किया जा सकता है।

साथ हीं जागरूकता हेतु विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम लागू करके ऐसा संभव है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अध्ययन के अनुसार भारत में विकलांग बच्चों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रचनात्मक दिशा देने की जरूरत है क्योंकि विकलांग बालकों को उनके साथियों तथा समाज के अन्य लोगों के द्वारा उपेक्षा या तिरस्कार सहना पड़ता है अथवा अनावश्यक सहानुभूति मिलती है जिससे वे हीन भावना के शिकार हो जाते है और उनमें समायोजन सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ूवतसक अपेपवद में प्रकाशित त्मचवतज में स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालकों के शैक्षणिक विकास तथा समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे देश में सामाजिक व्यवस्था बनी रही तथा अशान्ति और उपद्रव उत्पन्न न हो। उनके शैक्षणिक विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। परन्तु स्वयंसेवी संगठन नगरीय परिपेक्ष्य में अधिक क्रियाशील हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र के निर्धन परिवारों के विकलांग बालकों के प्रति स्वयंसेवी संगठन की क्रियाशीलता नगण्य हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग बालकों के लिए भी बहुमुखी शैक्षणिक विकास हेतु सक्रिय कार्ययोजना प्रारंभ करने की आवश्यकता है। त्मचवतज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में समावेशी विकास की अवधारणा स्वीकृत की गई हैं जो विकलांग बालकों के विकास के बिना संभव नहीं है।

भारत में सर्वप्रथम विकलांग बालकों का सर्वेक्षण कराया जाए तथा विकलांगों की सही संख्या का पता लगाया जाए। फिर उसके उपाचार व समुचित शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

विकलांगों की शिक्षा

विकलांग बालकों के विकास के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सबसे प्रभावी माध्यम होता है । शिक्षा के माध्यम से ही इनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत जहां शिक्षा को भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है वहीं विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है । भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख व्यक्तियों में 90 व्यक्ति विकलांग हैं। नगरीय परिपेक्ष्य में एक लाख की जनसंख्या में 84 व्यक्ति विकलांग हैं तथा 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 51ः विकलांग व्यक्ति निरक्षर हैं ।

भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विकल्पों का एक सातत्य सीखने वाले यंत्र गत्यात्मक सहायता सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है । इसके अंतर्गत मुक्त शिक्षा दूर शिक्षा वैकल्पिक विद्यालय, विशेष विद्यालय जहां भी आवश्यक हो घर आधारित शिक्षा, भ्रमणकारी शिक्षण, मॉडल

निदानात्मक शिक्षण, पार्ट टाइम कक्षाएं समुदाय आधारित पुनर्वास व व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास भी विकलांगों की समस्या समाधान में सहायक हो रहा है। राज्य सरकारें स्वायत्तशासी निकायों तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित प्दजमहतंजमक क्कनबंजपवद वित जीम कपेंइसमक बीपसकतमद ;प्म्ण्क्ण्ब्द्ध योजना विशेष शिक्षकों, पुस्तक व लेखन सामग्रियों, यूनिफॉर्म, परिवहन, हॉस्टल भत्ता, उपकरण लागत, कमजोर दृष्टि वाले दिव्यांगों के लिए पाठक भत्ता, अवरोध दूर करने वाले उपाय निर्देशात्मक सामग्रियों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, सामान्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व संसाधन कमरों के लिए यंत्र उपकरण जैसी सुविधाओं के लिए सौ फीसदी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

A. उच्च शिक्षा हेतु सहायता :– भारत सरकार दिव्यांग बालकों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिससे उनकी शिक्षा जारी रखी जा सके । सरकार यह छात्रवृत्ति जारी रखते हुए इसमें और विस्तार कर रही है ताकि विकलांगों को भी सामान्य बालकों के अनुरूप लाया जा सके । दिव्यांगों को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान है तथा उच्च शिक्षा के अन्य संसाधनों में आरक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा किया जा रहा है।

B. विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायताः– वर्तमान में सरकार द्वारा आर्थिक पुनर्वास में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा स्वरोजगार भी शामिल है । विकलांगों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ।

1. **सरकारी नौकरी में आरक्षण :–** विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3ः का आरक्षण का प्रावधान करता है। सरकार विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुरूप पदों के लिए सरकारी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित करेंगी।

2. **निजी क्षेत्र में रोजगारः–** निजी क्षेत्र में भी विकलांगों को आर्थिक रूप से सफलता प्रदान करने हेतु उनकी योग्यता के विकास पर बल दिया जा रहा है । विकलांगों के योग्यताओं में विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं । बाजार की जरूरतों के मुताबिक योग्यता निर्माण के लिए विकलांगों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है । निजी क्षेत्रों में पुरस्कार इंसेंटिव कर छूट आदि सक्रिय उपायों द्वारा विकलांगों को रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

3. **स्वरोजगारः–** सरकारी तथा संगठित क्षेत्रों में रोजगार के धीमे विकास को देखते हुए स्व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है । व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही छभ्थ्क्ब्स् द्वारा आसानी से ऋण मुहैया कराने के वर्तमान प्रणाली से यह प्रक्रिया काफी पारदर्शक और उपयोगी बन गई है । सरकार द्वारा कर छूट, ड्यूटी से छूट, सेवा देने वाले तथा समान बनाने वाले उपक्रमों को बढ़ावा देने से स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है । साथ ही विकलांगों द्वारा बनाए गए छळव् को वित्तीय प्राथमिकता देकर आर्थिक सबलता मिल रही है।

C. विकलांगता प्रमाण पत्रः– भारत सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांगों के विकास में तथा लाभ प्राप्त करने में काफी उपयोगी है । इसके लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश विकलांगों को कम से कम समय में बिना किसी परेशानी के विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करती है ।

D. सामाजिक सुरक्षा हेतु उपाय :–विकलांगों और उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वालों को अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है जिससे उनका चिकित्सा खर्च, परिवहन सहायता, उपकरण आदि की व्यवस्था की जा सके । केंद्र सरकार विकलांग और उनके परिवार के कर छूट प्रदान कर रही है । साथ ही विकलांगता पेंशन और बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है ।

सेटेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदन, बहु विकलांगता आदि के शिकार बच्चों के माता–पिता अपनी मृत्यु के पश्चात ऐसे बच्चों की देखभाल को लेकर काफी चिंतित रहते हैं । ऐसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कानूनी अभिभावकत्व प्रदान करता है। ये सहायता प्राप्त अभिभावकत्व योजना का भी क्रियान्वयन करते हैं ताकि दरिद्र और एक गंभीर विकलांग व्यक्ति को वित्तीय मदद की जा सके । वर्तमान में यह योजना कई जिलों में लागू की जा रही है।

E. गैर सरकारी संगठनों ;छळव्द्ध को प्रोत्साहनः– वर्तमान में छळव् एक अहम संस्थानिक प्रणाली के रूप में कार्य करती है जो सरकार के प्रयासों को लागू करने का सशक्त और सरल माध्यम है । आज छळव् विकलांग व्यक्ति को सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । सरकार भी सक्रिय रूप से नीति की योजना क्रियान्वयन और निगरानी में इन्हें शामिल करके इनका परामर्श प्राप्त कर रही है । साथ ही छळव् के क्षेत्र विस्तार की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि दूर क्षेत्र के विकलांगो तक की भी सुविधा पहुंचायी जा सके।

F. अनुसंधान को बढ़ावा देकरः– विकलांगता के शिकार बालकों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ, विकलांगता के कारण प्रारंभिक बाल शिक्षा विधि, विकलांगता से जुड़े सभी मामलों पर अनुसंधान कार्य किए जाने की आवश्यकता है । इससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाकर उनके जीवन स्तर, मानसिकता और सामाजिक नजरिए में बदलाव किया जा सकता है । इसके लिए उन विकलांगों के परिवारजनों की अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए जिन्हें शोध कार्य में शामिल किया जाएगा ।

G. विकलांगता सुधार और पुनर्वास संबंधी मौजूदा अधिनियम में संशोधन और क्रियान्वयन द्वाराः– विकलांग अधिनियम 1995 पारित होने के बाद अधिनियम 2014 बना । परंतु वर्तमान में भी इनके सभी लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रहा है । अतः आवश्यकतानुसार इन अधिनियमों में समय–समय पर संशोधन और पूर्ण क्रियान्वयन करके इनको लाभ प्रदान किया जा सकता है ।

निष्कर्षः– विशेष बालकों के लिए शिक्षा का आयोजन इनकी कमियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । प्रायः शारीरिक रूप से कमजोर बालक मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में अग्रणी प्रदर्शन करते हैं । जबकि समाज उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण मानसिक रूप से भी कमजोर मान लेता है। अतः आवश्यकता है कि इनको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा दिया जाना चाहिए क्योंकि शारीरिक अक्षमता इनके

मनोविज्ञान को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही इनके लिए किए जाने वाले विभिन्न लाभकारी प्रावधानों का लाभ इन्हें मिले इस दिशा में सकारात्मक प्रयास परिवार, समाज और सरकार सबों को मिलकर करने की आवश्यकता है। तभी इन वंचितों के जीवन में खुशियों के फूल खिल सकते हैं ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, संशोधित 2006.
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति; 1986द्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. बैंकटैया. एन, 1993, रिडिंग्स इन स्पेशल एजुकेशन, एशोसिएट पब्लिसर्स, अम्बाला कैंट।
4. बेंकटेस, एस (2005) चिल्ड्रेन विथ डेभलपमेंट डिसएबिलिटी, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. शर्मा डॉ. आर.ए., 2009, विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, आर लाल बुक डिपो, मेरठ